भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 734
13 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का समायोजन

734 # श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युद्ध के कारण यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को समायोजित करने के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि छात्रों का समायोजन नहीं होने के कारण वे दर-दर भटक रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मेडिकल छात्रों ने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए युद्धग्रस्त यूक्रेन में जाने का प्रयास किया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे छात्रों का अध्ययन देश में पूरा हो सके, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने एक योजना तैयार की है, जिसके तहत ऐसे भारतीय छात्रों को विदेशी चिकित्सा स्नातक (एफएमजी) परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जो अपने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे (जिन्हें कोविड-19, रूस-यूक्रेन युद्ध आदि के कारण अपना विदेशी चिकित्सा संस्थान छोड़ना पड़ा) और बाद में अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और जिन्हें संबंधित संस्थान द्वारा 30 जून, 2022 या उससे पहले पाठ्यक्रम/डिग्री पूरी करने का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। उसके बाद, एफएमजी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, ऐसे विदेशी चिकित्सा छात्रों को, भारतीय परिस्थितियों में चिकित्सा के अभ्यास से परिचित कराने तथा नैदानिक प्रशिक्षण, जिसमें ये छात्र विदेशी संस्थान में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के दौरान वास्तविक रूप से भाग नहीं ले सके थे, की भरपाई हेतु, दो साल की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग आयुर्विज्ञान इंटर्नशिप (सीआरएमआई) करनी पड़ेगी। विदेशी चिकित्सा स्नातक दो वर्ष की सीआरएमआई पूरा करने के बाद ही पंजीकरण कराने के पात्र होते हैं।

विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, कीव में भारतीय दूतावास ने छात्रों को सुचारू तरीके से प्रतिलेख (ट्रांस्क्रिप्ट) और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए यूक्रेन में सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ संवाद किया है। किसी भी संबंधित मुद्दे को हल करने में छात्रों की सहायता के लिए विवरण दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

एनएमसी ने सार्वजनिक सूचनाएं भी जारी की है, जिसमें यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक गतिशीलता कार्यक्रम यानी सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित 29 देशों में से किसी एक में लागू अन्य विश्वविद्यालयों में अस्थायी स्थानांतरण (संघर्ष की अवधि के लिए) पर अपनी अनापत्ति व्यक्त की गई है।

*****